UPRN010035842026

न्यायालय, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(दस्यु प्रभावित क्षेत्र), कानपुर-देहात।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-1389/2026

अनुज यादव उम्र लगभग 26 वर्ष पुत्र मुन्नू सिंह निवासी ग्राम बैजूपुरवा, थाना रूरा, जनपद कानपुर देहात।

--प्रार्थी/अभियुक्त।

प्रति

उत्तर प्रदेश सरकार। --अभियोजनपक्ष।

अ0सं0- 238/2026
धारा- 309(6),317(2) बी०एन०एस०
थाना- अकबरपुर, जनपद कानपुर देहात।

दिनांक-25.06.2026

1. यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त अनुज यादव द्वारा मुकदमा अपराध सं०-238/2026 अंतर्गत धारा-309(6),317(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना अकबरपुर, जिला कानपुर देहात के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि वादी मुकदमा साजिद अली पुत्र खालिक अली द्वारा संबंधित थाना अकबरपुर, जनपद कानपुर देहात में इस आशय की लिखित तहरीर दर्ज करायी गयी कि प्रार्थी के गाँव में जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी का निर्माण हो रहा है जिसमें प्रार्थी का भाई शाकिर अली पुत्र खालिक अली चौकीदार का काम करता है। दिनांक 30.05.2026 को रात्रि लगभग 12.30 बजे कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पम्प हाउस से इन्वर्टर व बैटरी चोरी कर के इको गाड़ी द्वारा ले जा रहे थे तभी उसका भाई जाग गया, चोरी करने का विरोध किया तो उपरोक्त लोगों द्वारा प्रार्थी के भाई के साथ मारपीट की गयी और सामान अपने साथ ले गये। घायल अवस्था में उसके भाई द्वारा सूचना लगभग रात्रि 12.50 में दी गयी। वह परिवार सहित घटनास्थल पर पहुंचकर 112 पुलिस को सूचना दी गयी। एम्बुलेन्स द्वारा भाई को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट लिखकर उचित कार्यवाही करने की याचना की गयी है।

3. उक्त तहरीर रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों नाम पता अज्ञात के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध संख्या 238/2026, धारा 303(2),115(2) भारतीय न्याय संहिता-2023 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ। प्रस्तुत प्रकरण में धारा-303(2), 115(2) का अपराध न होने पर विवेचक द्वारा धाराओं का लोप किया गया है और संकलित साक्ष्यों एवं फर्द बरामदगी के आधार पर धारा-309(6), 317(2) भारतीय न्याय संहिता की बढ़ोत्तरी की गयी। विवेचक द्वारा उपरोक्त मामले में अभी तक आरोप पत्र प्रेषित नहीं किया गया है।

4. जमानत प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है, तथाकथित अपराध कारित नहीं किया है उसे

गलत फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त मुकदमा अज्ञात में दर्ज कराया गया है। तथा किसी ने भी प्रार्थी/अभियुक्त को अथवा अन्य किसी को न तो देखा है और न ही कोई साक्ष्य पत्रावली में मौजूद है जिससे यह साबित होता हो कि प्रार्थी/अभियुक्त का उक्त घटना से कोई वास्ता सरोकार नही है। वादी मुकदमा के कथानक के अनुसार उक्त चोरी दिनांक 30.05.2026 की रात्रि की कही गई है। जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 01.06.2026 को 01:33 बजे दर्ज करायी गई, जबकि थाना पुलिस द्वारा बिल्कुल फर्जी व झूठी गिरफ्तारी व बरामदगी दर्शाते हुए वादी मुकदमा द्वारा चोरी की घटना को झूठी तरीके से लूट में परिवर्तित कर दी है। जो किसी भी दशा में पोषणीय नही है और पुलिस की सॉठ गाँठ साबित होती है। वादी मुकदमा की साधारण चोरी की घटना को थाना पुलिस ने लूट की दर्शाते हुए दिनांक 03.06.2026 को झूठी गिरफ्तारी व बरामदगी दर्शायी गई है। यह पूरा घटनाक्रम स्वयं ही साबित करता है कि प्रार्थी/अभियुक्त को महज गुडवर्क पाने व रंजिशन झूठा फंसाया गया है। जबकि प्रार्थी/अभियुक्त के पास से महज मोबाइल की बरामदगी दर्शायी गई है।मुकदमा उपरोक्त की प्रथम सूचना रिपोर्ट चोरी में दर्ज है। जबकि थाना पुलिस द्वारा रिमाण्ड डकैती में आया है जो तहरीर है वह चोरी की है ऐसी दशा में लूट में रिमाण्ड लेने से ही स्पष्ट हो जाता है कि पुलिस द्वारा महज गुडवर्क दिखाने की मंशा से उक्त कृत्य किया गया है। जबकि कथित घटना व पुलिस की बरामदगी व गिरफ्तारी से प्रार्थी/अभियुक्त का कोई लेना देना नहीं है। इस आधार पर भी प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पाने का अधिकारी है। थाना पुलिस द्वारा अपना गुडवर्क दिखाने की मंशा से एक फर्द बरामदगी दर्शाते हुए कई मुकदमे में प्रार्थी/अभियुक्त को संलिप्त कर दिया गया है जो कि सरासर गलत है। प्रार्थी/अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है। कथित चोरी व बरामदगी से प्रार्थी/अभियुक्त का कोई लेना देना नही है। थाना पुलिस द्वारा अपने गाँव बैजूपुरवा जाने हेतु सवारी का इन्तजार कर रहा था जहाँ मौजूद पुलिसकर्मियों ने पूछताछ की बात कहकर प्रार्थी को गाडी में बिठा लिया और थाने ले जाकर गुडवर्क पाने की मंशा से झूठा उक्त अभियोग में नामजद कर दिया। जबकि प्रार्थी/अभियुक्त का कथित घटना व बरामदगी से कोई लेना देना नही है और न ही किसी के द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त का नाम लिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र न तो माननीय न्यायालय के समक्ष और न ही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और न ही विचाराधीन है। इन्हीं आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गयी है।

5. राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध करते हुए, कथन किया गया कि दिनांक 30.05.2026 की रात्रि लगभग 12.30 प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य सह अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को मारपीट कर पम्प हाउस से इन्वर्टर व बैटरी लूट ली गयीं है। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह भी कथन किया गया है कि दौरान विवेचना प्रार्थी/अभियुक्त व सह-अभियुक्तगण के नाम प्रकाश में आये। प्रार्थी/अभियुक्त व सह अभियुक्तगण के कब्जे पास से मुकदमा उपरोक्त से संबंधित लूट का माल बरामद हुआ है। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित किया गया अपराध गम्भीर प्रकृति का है और जनपद कानपुर देहात में उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1983 प्रभावी हैं और उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1983 में जमानत के सम्बंध में धारा 10 में विशेष उपबन्ध किये गये हैं और धारा 10 बी के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने का कोई आधार नहीं है। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह भी कथन किया गया कि अपराध की प्रकृति व प्रार्थी/अभियुक्त की भूमिका को देखते हुए, यह जमानत पर छोड़े जाने का अधिकारी नहीं है।

6. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को जमानत प्रार्थना-पत्र पर सुना तथा सम्पूर्ण पत्रावली का परिशीलन किया गया।

7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त अनुज यादव पर आरोप है कि दिनांक 30.05.2026 की रात्रि लगभग 12.30 प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य सह अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को मारपीट कर पम्प हाउस से इन्वर्टर व बैटरी लूट ली गयीं। दिनांक 03.06.2026 को पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना एवं बताये हुए स्थान पर दो ईको कारें रोकी गयी, जिसमें से एक ईको कार सं०-UP77AQ6209 जिसमें तीन अन्य सह अभियुक्त बैठे थे, से आठ अदद इन्वर्टर बैटरियाँ तथा चार अदद इन्वर्टर बरामद किये गये। जबकि एक अन्य ईको कार सं०-UP77AV4389 जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त व एक अन्य सह अभियुक्त बैठा था, से दस अदद इन्वर्टर बैटरियाँ तथा पाँच अदद इन्वर्टर बरामद किये गये तथा प्रार्थी/अभियुक्त की जामा तलाशी में पहने पैंट की दाहिनी जेब से एक अदद एण्ड्रायड मोबाइल वीवो रंग कत्थ्ई बरामद किया गया। संबंधित थाने से प्राप्त आख्यानुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध इस वाद के अतिरिक्त एक अन्य मामला अ०सं०-99/2026 धारा-303(2),317(2) बी.एन.एस., थाना डेरापुर, कानपुर देहात में दर्ज है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त व सह अभियुक्तगण के कब्जे से कथित लूट का माल बरामद हुआ। उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बिना गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने लूट जैसा जघन्य अपराध कारित किया तथा उसके व अन्य सह अभियुक्तगण के कब्जे से लूट का माल कारतूस बरामद हुआ है। प्रस्तुत प्रकरण में उत्तर प्रदेश दस्यु प्रभावी अधिनियम 1983 प्रभावी है। धारा 10-B डकैती प्रभावी क्षेत्र अधिनियम के अधीन प्रार्थी/अभियुक्त को तभी जमानत पर रिहा किया जा सकता है, जब उसके विरूद्ध यह साक्ष्य हो कि वह निर्दोष है। प्रस्तुत प्रकरण में इस स्तर पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह माना जाये कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है।

8. अतः प्रस्तुत मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों एवं प्रार्थी/अभियुक्त की मामले में भूमिका को देखते हुए, मामले के गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, मेरे विचार से प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

9. प्रार्थी/अभियुक्त अनुज यादव द्वारा मुकदमा अपराध सं०-238/2026 अंतर्गत धारा-309(6),317(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना अकबरपुर, जिला कानपुर देहात के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(पारुल श्रीवास्तव)
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(दस्यु प्रभावित क्षेत्र),
कानपुर-देहात।

दिनांक-25.06.2026